

डिक्री मुकदमा इब्दादाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:- पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. शिवदयाल पुत्र छोटेलाल मीना
2. सेवाराम पुत्र शिवचरण मीना
3. अर्जुन पुत्र शिवचरण मीना
निवासीयान बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली।
4. कल्ली पुत्री शिवचरण पत्नि ओमप्रकाश मीना निवासी मेडी तहसील बजीरपुर जिला
सवाई माधोपुर

(वादीगण)

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र घमण्डी मीना
2. बत्तीलाल पुत्र रामजीलाल मीना
3. कल्ला पुत्र रामजीलाल मीना
4. अनिल पुत्र सियाराम मीना
5. सुनिल पुत्र सियाराम मीना
6. लोहडी पत्नि सियाराम मीना
निवासीयान बौल तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादीगण


दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:- 144/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट व हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि

अतः ग्राम बौल आराजीयात ख0न0 172/0.18, 2434/0.23, 2536/0.19, 2922/3500/0.05, 2952/0.01, 2953/0.07, 379/0.16, 380/0.17, 780/0.23, कुल कित्ता 9 कुल रकवा 1.29 है0 मे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काशत मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज.....मुबलिंग.....बावत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.02.2025 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

